रजिस्टर्ड सं० डी—(डीएन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 13, 1986 (अग्रहायण 22, 1908)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 13, 1986 (AGRAHAYANA 22, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	769
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1387
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	1895
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	26445
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	787
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . .	2459
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . .	171
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक .	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	769
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1387
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1895
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	26445
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	787
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2459
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	171
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in Englisl and Hindi ..	*

* Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

(प्राक्कलन समिति शाखा)

नई दिल्ली–110001, दिनांक 20 नवम्बर 1986

सं० 4/1/ई० सी०/86—अध्यक्ष महोदय ने श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी, संसद सदस्य को श्री चिन्तामणि पाणिग्रही जो गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त होने पर समिति के सभापति एवं सदस्य नहीं रहे, के स्थान पर समिति के शेष कार्यकाल के लिए 20 नवम्बर, 1986 से प्राक्कलन समिति (1986–87) का सभापति नियुक्त किया है ।

नरेन्द्र मेहरा, संयुक्त सचिव

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1985

संकल्प

सं० 5(12)/84–कम्प्यू०—इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के प्रतिपादनार्थ एक समेकित नीति भारत सरकार द्वारा विचारधीन थी । राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया है कि इसके प्रथम चरण के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी पर समेकित नीति के निम्नलिखित उपाय प्रभावी होंगे :—

1. औद्योगिक लाइसेंसों का "ब्रॉड बेण्डिंग"

अब से, निम्नांकित के लिए "ब्रॉड बेंड" लाइसेंस जारी किए जायेंगे, जिससे कि निवेशों का यथेष्ट–रूप में उपयोग किया जा सके :–

(i) लघु उद्योग के लिए आरक्षित उपकरणों को छोड़कर मनोरंजन सम्बन्धी इलेक्ट्रॉनिकी उपकरण जिसमें रेडियो रिसीवर, टेप रिकार्डर, टू-इन-वन, प्रवर्धक, रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड चेंजर, ब्लैक एण्ड ह्वाइट तथा रंगीन टी० वी० सेट, सी० सी० टी० वी० प्रणालियां—ये सब शामिल हैं ।

(ii) कम्प्यूटर परिधीय उपकरण ।

(iii) लघु उद्योग के लिए आरक्षित उपकरणों को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा मापन उपकरण ।

(iv) विविक्त सेमीकण्डक्टर युक्तियां ।

2. वी० सी० आर०/वी० सी० पी० व माइक्रोवेव ओवनों के लिए नीति (निकट भविष्य में ही अलग संकल्प जारी किया जायेगा ।)

3. अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी घड़ियां

इलेक्ट्रॉनिकी घड़ियों के वर्तमान औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक नीति द्वारा अभी तक अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी घड़ियों का विपणन केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक निगमों तक ही सीमित है । परिवर्तित प्रौद्योगिकी को मद्दे-नजर रखते हुए, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर पर अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी घड़ियां बहुत सस्ती मिल जाती हैं, अतः यह निश्चय किया गया है कि :—

(अ) सेमिकण्डक्टर उद्योग समूह लि० (एस० सी० एल०) को यह अनुमति दी जाएगी कि वह कम कीमत की अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी घड़ियों (डी० ई० डब्ल्यू०) के मोड्यूलों का विनिर्माण करे तथा इन्हें डी० ई० डब्ल्यू०, समुच्चायकों को बेचे, जिनमें शामिल हैं—राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र तथा लघु इकाइयां और साथ-ही-साथ अन्य यूनिटें जो कि यांत्रिक घड़ियां तथा हस्तशिल्प की वस्तुएं आदि बनाती हैं ।

(ब) लघु इकाइयों को कम कीमत की डी० ई० डब्ल्यू० या अन्य डी० ई० डब्ल्यू० मोड्यूलों पर आधारित उत्पादों को सीधा ही बाजार में बेचने की अनुमति दी जाएगी ।

यदि मांग एस० सी० एल० की क्षमता की परिधि से बाहर हो, तो निजी क्षेत्र में एक दूसरी यूनिट को इन मोड्यूलों के विनिर्माण की अनुमति दी जाएगी ।

4. वित्तीय संस्थानों के संसाधनों का उपयोग न करने वाले आवेदकों हेतु पैरा 1(i) में उल्लिखित सभी उपभोक्ता टिकाऊ उत्पादों के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी ।

5. गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता

उपभोक्ताओं की इलेक्ट्रॉनिकी टिकाऊ वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के लिए केन्द्र सरकार पर्याप्त सुविधाएं प्रतिष्ठापित करेगी ।

टिप्पणी—ये नीति सम्बन्धी उपाय इलेक्ट्रॉनिकी राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 21 मार्च, 1985 को संसद में घोषित किए गए थे और अन्तरिम-रूप से उसी दिन प्रेस नोट के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे ।

6. उदार संवर्धन

किसी भी नए उत्पाद के लिए औद्योगिक लाइसेंसों को जारी करते समय निकट भविष्य में उसकी अनुमानित मांग और साथ-ही-साथ उसकी तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता को भी ध्यान में रखा जायेगा । सरकार पूंजीगत उपकरणों पर न्यूनतम निवेश के लिए आग्रह करेगी, जिसे कि देश में ही पर्याप्त संवर्धित मूल्यों और प्रौद्योगिकी के आत्मसात करने तथा उसके विकास के प्रति आश्वस्त हुआ जा सके । न्यूनतम उत्पादन क्षमता पर विशेष आग्रह किया जायेगा । एक बार लाइसेंस जारी किए जाने पर लाइसेंसधारी को उदार संवर्धित विकास की ओर आश्वस्त किया जाएगा ।

7. विनिर्माण के चरणबद्ध कार्यक्रमों के अनुमोदन करने में सरकार इस बात में आश्वस्त होगी कि आयातित सघन मुद्रण-सर्किट बोर्डों पर निर्भरता को कम किया जाए तथा देश में यथोचित विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जाये ।

8. भारतीय कम्पनियां तथा 40 प्रतिशत या उससे कम विदेशी साम्यांश वाली भारतीय कम्पनियां किसी भी इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र जो कि संघटित निजी क्षेत्र के लिए मात्र इसलिए खुला है क्योंकि उनमें विदेशी साम्यांश लगा हुआ है—से निष्कासित नहीं की जायेंगी ।

9. एफ० ई० आर० ए० कम्पनिया

इलेक्ट्रॉनिकी संघटक पुर्जों, वस्तुओं तथा अन्य आधुनिकतम उच्च प्रविधियों के क्षेत्र में जहां कि देश अनुसंधान व विकास में पर्याप्त रूप से निवेश नहीं कर सका है वहां सरकार विदेशी साम्यांश वाली कम्पनियों (अर्थात् वे कम्पनियां जहां 40 प्रतिशत से ज्यादा विदेशी साम्यांश है) को इनकी विनिर्माण सुविधा के प्रतिष्ठापन के लिए समादृत करेगी ।

10. देश में ही एक यथोचित इलेक्ट्रॉनिकी की क्षमता के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी के आयात की खुले रूप में अनुमति दी जाएगी । तो भी, उद्योगों को स्वदेशीय प्रौद्योगिकी की क्षमता की प्रतिष्ठापना के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे कि प्रौद्योगिकियों के बारम्बार आयात पर निर्भर न रहा जाए ।

11. अवस्थिति :

इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को किसी भी अनुमति प्राप्त स्थान पर प्रतिष्ठापित करने की अनुमति प्रदान की जायेगी । ज्यादातर प्रयास यही किए जायेंगे कि व्यापक स्तर पर पर्वतीय जिलों में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग का विकास हो ।

12. इस उद्योग को समेकित रूप में आयोजित करने और अपनी विदेशी पूंजी का न्यूनतम अपक्षय हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए संगठित और लघु उद्योग क्षेत्रों के सभी इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माताओं से विस्तृत आंकड़े प्राप्त करना आवश्यक है । अतः इस उद्देश्य के लिए अनिवार्यतः एकल प्रपत्र लागू करने का प्रस्ताव है, जिसे औद्योगिक यूनिटें वर्ष में एक बार इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को प्रस्तुत करेंगी ।

13. वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रस्तावों की जांच में और अधिक गति लाने के लिए उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे इलेक्ट्रॉनिकी के लिए एक अलग प्रकोष्ठ की स्थापना करें और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की परियोजना मूल्यांकन समितियों में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जायेगा ।

14. 19 नवम्बर, 1984 को घोषित कम्प्यूटर नीति का इलेक्ट्रॉनिकी विभाग उचित—रूप से विस्तार कर उसे इलेक्ट्रॉनिकी नियंत्रण उपकरण, इंस्ट्रूमेंटेशन व सिस्टम्स, औद्योगिक एवं व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिकी और डॉटा संचार उपकरणों पर भी लागू करेगा । इस विषय में अलग से अधिसूचना जारी की जायेगी ।

15. संघटक पुर्जे :

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 मार्च, 1985 को जारी प्रेस नोट द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी संघटक पुर्जों के उद्योग को पहले ही लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है । इसे समक्ष रखते हुए संघटक पुर्जों के विनिर्माण के लिए संघटक-पुर्जों के उद्योग का प्रतिष्ठापन करने के इच्छुक उद्यमी प्रविधि विकास महानिदेशालय (डी० जी० टी० डी०)/एस० आई० ए० के पास पंजीकरण करा सकते हैं ।

16. पहले सरकार ने यह घोषणा की थी कि काफी मात्रा में संघटक पुर्जों का विनिर्माण करने की आवश्यकता है । अतः यह नीति निर्धारित की गई है कि वर्तमान में जो संघटक पुर्जे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं उनमें से कुछ को अनारक्षित कर दिया जाए ।

17. सामान्यतः मध्यवर्ती स्तर से संघटक-पुर्जों के विनिर्माण की अनुमति नहीं है । फिर भी, द्विध्रुवीय, रेखीय और अंकीय एकीकृत परिपथों के मामलें में, जिनमें भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, कम-से-कम 5 करोड़ का पूंजी-निवेश करने पर शुरुआत के तौर पर उद्योग को मध्यवर्ती स्तर से समुच्चयन की अनुमति प्रदान की जायेगी ।

18. संचार

मार्च, 1984 में इलेक्ट्रॉनिकी के उप मंत्री द्वारा घोषित संचार के क्षेत्र में कुछ उत्पाद समूह को निजी क्षेत्र के लिए खुला रखा गया था । पहले यह निर्धारित किया गया था कि स्विचन प्रणालियों में 49 प्रतिशत से ज्यादा के लिए निजी पार्टियों को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी, तो भी, सरकार की संसाधन सीमाओं को मद्देनजर रखते हुए तथा स्विचन क्षेत्र में उपलब्धता की संभावित कमी को देखते हुए अब यह निर्धारित किया गया है कि दूरमिति विकास केन्द्र (सी० डी० ओ० टी०) द्वारा देशीय प्रौद्योगिकी का विकास करते हुए एक इलेक्ट्रॉनिकी स्विचन प्रणाली की (ई० एस० एस०) फैक्ट्री प्रतिष्ठापित की जाए । इस औद्योगिक प्रयास में सरकार का निवेश 26 प्रतिशत सीमित रहेगा, निजी उद्योग की पार्टियों को 25 प्रतिशत का ऑफर प्रदान किया जायेगा तथा 49 प्रतिशत सामान्य जनता के लिए खुला रखा जायेगा ।

19. अनुसंधान तथा विकास

आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग आज की स्थिति की तरह अधिकतः विदेशी प्रौद्योगिकी पर आश्रित न रहे इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अनेक

प्रमुख अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों को हाथ में लिया है । केन्द्र सरकार ने दूरमिति विकास केन्द्र की स्थापना की है और यह राष्ट्रीय रेडार परिषद् के माध्यम से अनुसंधान को प्रोत्साहित कर रही है और अपनी प्रौद्योगिकी विकास परिषद के जरिए यह शैक्षिक संस्थानों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के उद्यमों को अनुसंधान के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कर रही है । सरकार ने अभी हाल में राष्ट्रीय माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिकी परिषद् की स्थापना की घोषणा की है तथा इलेक्ट्रॉनिकी के लिए सामग्री विकास केन्द्र की स्थापना करने का भी निश्चय किया गया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाये :—

1. राष्ट्रपति का सचिवालय ।
2. प्रधान मंत्री का कार्यालय ।
3. मंत्रिमण्डल सचिवालय ।
4. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक ।
6. सभी राज्य सरकारों व संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ।
7. अध्यक्ष, उत्पादन और सीमाशुल्क का केन्द्रीय बोर्ड ।
8. आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक ।
9. तकनीकी विकास महानिदेशालय ।
10. भारतीय राजदूतावासों के विज्ञान परामर्शदाता ।
11. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी के राज्य मंत्री ।
12. अध्यक्ष, इलेक्ट्रानिकी आयोग ।
13. सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग ।
14. इलेक्ट्रानिकी विभाग के सभी संभाग/अनुभाग ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

संकल्प

सं० 5(12)/84—कंप्यू०—कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर आधारित प्रणालियों के विनिर्माण, आयात और निर्यात के लिए प्रचलित वर्तमान नीति की समीक्षा का प्रश्न भारत सरकार द्वारा विचाराधीन था । इस दिशा में पहले कदम के तौर पर राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय लिया है कि कम्प्यूटरों तथा कम्प्यूटर आधारित प्रणालियों के विनिर्माण, आयात व निर्यात के लिए नीतियों तथा कार्यविधियों में निम्नांकित संशोधन किए जायें ।

निम्नांकित बुनियादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये व्यापक संशोधन किए गए है :—

(i) नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित कम्प्यूटरों का देश में ही विनिर्माण अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर उनके तुलनात्मक मूल्यों का निर्धारण तथा वित्तीय व्यवहार्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें देश में काफी मात्रा में उपलब्ध करवाना ।

(ii) वित्तीय पहलुओं पर मुख्यतः निगरानी रखते हुए प्रचलित कार्य-विधि को सरल बनाना जिससे प्रयोक्ता देश में ही या विदेशों से अपनी जरूरतों के अनुसार कम्प्यूटरों को उपलब्ध, कर सकें ।

(iii) राष्ट्रीय स्तर पर कम्प्यूटर के क्षेत्र में दीर्घकालीन लाभों को समक्ष रखते हुए उनके समुन्नत अनुप्रयोगों का संवर्धन करना ।

निम्नांकित संशोधित नीति तथा कार्यविधि, कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उप-प्रणालियों यथा परिधीय उपकरणों व यंत्रेतर व यंत्रेतर-सामग्री और कम्प्यूटर आधारित प्रणालियों को लेकर बनायी गयी है और उसमें कम्प्यूटर एक प्रधान उप-प्रणाली है ।

(क) विनिर्माण :

1. विनिर्माण सम्बन्ध सभी नियमन कार्यकलाप यथा आशय पत्रों की जांच, औद्योगिक लाइसेंस, विदेशी सहयोग, चरण-बद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पी० एम० पी०) व सी० जी० और कच्चे माल का आयात आदि इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत वर्तमान अन्तः मंत्रिमण्डलीय स्थायी समिति द्वारा संपन्न होंगे, जिसे यह प्रमुख कार्य सौंपा गया है । इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अधीन कार्यरत कम्प्यूटर, कम्प्यूटर-संचार तथा उपकरण विंग (सी० सी० आई० विंग) इस समिति का "सचिवालय" के रूप में कार्य करता रहेगा । इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अधीन सी० सी० आई० विंग को सीधी तौर पर सभी आवेदन भेजे जायें ।

2. सूक्ष्म/लघु कम्प्यूटरों यथा निजी कम्प्यूटर, सूक्ष्म कम्प्यूटर और बी० एल० एस० आई० आधारित लघु कम्प्यूटर इनमें 32-बिट चिपों या समसंख्यांक वाले भी (32 या अधिक बिटों वाले सुपर मिनी/मेनफ्रेम संरचना वालों को छोड़कर) शामिल हैं, का विनिर्माण किसी भी भारतीय कम्पनी द्वारा स्वीकृत है अर्थात पूर्णतः भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियों और वे निजी या सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां जिनमें चालीस प्रतिशत से ज्यादा विदेशी सांयांश (इक्विटी) न हो ।

टिप्पणी :—इन नीति सम्बन्धी उपायों को दिनांक 19 नवम्बर, 1984 के एक प्रेस नोट के माध्यम से अन्तरिम रूप में अधिसूचित किया गया था ।

3. सी० पी० यू० के मेनफ्रेमों और सुपर मिनी कम्प्यूटरों का विनिर्माण दो वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र द्वारा आरक्षित रहेगा । कप्यूटरों की मिनी फ्रेम श्रेणी और सुपर मिनी कम्प्यूटरों की सुनिश्चित परिभाषा समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा दी जाएगी ।

4. इस नीति में संबंधित वस्तुओं को शामिल करने के लिए "कम्प्यूटर और कम्प्यूटर आधारित प्रणालियों" का एक नया वर्गीकरण बनाया जाएगा । नए उद्योगों में व्ययगत छूट तथा अन्य प्रोत्साहन इस नए वर्गीकरण को भी उपलब्ध रहेंगे । यंत्रेतर-सामग्री के विकास और विनिर्माण को "उद्योग" नाम से अभिहित किया गया है । महत्वपूर्ण उच्च प्रौद्योगिकी की वजह से अवस्थिति सम्बन्धी नीति की सीमाओं से इस उद्योग को छूट रहेगी ।

5. प्रति वर्ष दो करोड़ रुपये मूल्य के कुल उत्पादन तथा तीन लाख रुपए के नीचे प्रति वर्ष पांच प्रणालियों की प्रचलित क्षमता के संघटित क्षेत्रों पर के प्रतिबन्ध हटा दिए जायेंगे ।

चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम और एक व्यावहार्य क्षमता की न्यूनतम आवश्यकताओं को छोड़कर प्रतिबन्ध हटाते हुए सूक्ष्म तथा लघु कम्प्यूटर प्रणालियों के विनिर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी जिस से उच्च-देशीयकरण के साथ विनिर्माण संपन्न होगा और यह आर्थिक पहलुओं पर व्यवहार्य होगा। आई० एम० एस० सी० के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग पी० एम० पी० के आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य देशीयकरण तथा प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से आधुनिक बनाने की गतिविधियों को सुनिश्चित करेगा ।

6. मूलभूत उपकरणों के विनिर्माण आधार पर सी० पी० यू०, परिधि उपकरण तथा अन्य उप-प्रणालियों को प्रदान करने वाली कम्पनियों को उदारता दी जायेगी तथा यथोचित मुआवजा देते हुए उत्पाद शुल्क भी अपेक्षाकृत कम ही रखा जायेगा ।

7. सरकारी उद्यमों को मूल्यगत खरीद की वरीयता तथा सरकारी क्षेत्रों की सुविधा आदि इस क्षेत्र पर लागू वर्तमान सरकारी नीतियों के अनुसार ही मिलती रहेंगी ।

8. इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा स्वीकृत अनुसंधान व विकास एककों के लिए अभिकल्पनों तथा आलेखों को ओ० जी० एल० पर ही स्वीकार किया जाएगा ।

9. प्रारम्भ में विनिर्माण के लिए अभिकल्पनों तथा आलेखों, प्रणाली यंत्रेतर-सामग्री तथा प्रयोज्य यंत्रेतर सामग्री के आयात को काफी उदारता से स्वीकृत किया जायेगा और बाद में इसे पी० एम० पी० व कच्चे माल की निकासी के नियमों द्वारा नियमित किया जायेगा । ऐसे आयातों के लिए सभी आवेदन इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के सी० सी० आई० विंग को भेजे जाएं तथा आई० एम० सी० इनकी जांच करेगा ।

आई० एम० एस० सी० के माध्यम से इलेक्ट्रानिकी विभाग कुछ एल० एस० आई०/वी० एल० एस० आई० चिपों तथा परिधीय उपकरणों के बारे में मानकीकरण के संवर्धन के लिए यथोचित कदम उठायेगा और देश में ही बने उत्पादों को यथोचित रूप में दृष्टिगत रख कर यह कार्य किया जायेगा ।

11. जहां कहीं भी यंत्रेतर-सामग्री के आयात का सवाल है वह प्रधानतः "सोर्स कोड" के रूप में होगी । "सोर्स कोड" की केन्द्रीय खरीद और देश में ही वितरण को विशेषतः प्रोत्साहित किया जायेगा ।

12. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी मूल्यों पर अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण के लिए यह आवश्यक है कि विनिर्माताओं को संघटक पुर्जे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के निकटतम मूल्यों पर अधिगत हो सकें । समय-समय पर इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा संघटक पुर्जों के शुल्क के बारे में निर्दिष्ट सिद्धांतों पर सिफारिश की जायेगी । वे सिद्धांत हैं : ऐसे संघटक पुर्जे जो कि देश में विनिर्मित नहीं हो रहे हैं और जिनका निकट भविष्य में विनिर्माण असम्भव है, उन्हें पहिचाना जाएगा और उन्हें कम आयात शुल्क पर आयातित किया जाएगा। देश में ही बनने वाले अन्य संघटक पुर्जों और निकट भविष्य में ही बनने वाले संघटक पुर्जों के लिए आर्थिक स्तरों के मुताबिक देते हुए उदारतापूर्वक विनिर्माण सुविधाएं स्वीकृत की जायेंगी। ऐसे संघटक पुर्जों को पर्याप्ततः उच्च संरक्षी-शुल्क की वजह से आयातित नहीं किया जायेगा । इलेक्ट्रानिकी विभाग समय-समय पर वित्त मंत्रालय को इन शुल्क अवसंरचनाओं के बारे में अपनी सिफारिशें पेश करेगा ।

13. विनिर्माताओं के लिए वस्तुतः प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल और संघटक पुर्जों की आयात-कार्यविधि को सरल और शीघ्र बनाया जायेगा । इलेक्ट्रानिकी विभाग में आयात आवेदकों के पंजीकरण के एक निश्चित समय के बाद आई० एम० एस० सी० कच्चे माल की निकासी को नियंत्रित करेगा जो कि आवेदन के पंजीकरण के दो माह के अन्दर अपना निर्णय देगी ।

14. आई० एम० एस० सी० के माध्यम से इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा संस्तुत वित्तीय युक्तियों यथा उच्च संरक्षी आयात शुल्क के विभिन्न स्तरों के जरिए देश में ही विनिर्मित कम्प्यूटरों को आयात से संरक्षित रखा जाएगा । वित्त मंत्रालय को आयात-शुल्क में कमी करने के लिए संस्तुतियां प्रस्तुत की जाएंगी, जिससे कि देशीय विनिर्माण की लागत में कमी आ सके ।

15. देशीय विनिर्माताओं को आपस के प्रतियोगी स्तरों पर लाने के लिए आई० एम० सी० के जरिए इलेक्ट्रानिकी विभाग कार्यविधियों को निष्पन्न करेगा । यह प्रक्रिया शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान व विकास संघटनों द्वारा संपन्न होगी जहां कम्प्यूटरों के सीधे आयात पर आयात शुल्क नहीं लगता ।

16. आई० एम० एस० सी० के जरिए इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर यदि कोई पार्टी प्रभावी कदम नहीं उठाती तो उसका अनुमोदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

17. सभी स्थानीय विनिर्माताओं को 1986 से आगे अपने विनिर्मित कम्प्यूटरों में द्विभाषिक (हिन्दी और अंग्रेजी) आगम-निर्गम सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे कि राजभाषा अधिनियम के अन्तर्गत हिन्दी का प्रयोग करने वाले विनिर्माताओं की मांग को पूरा किया जा सके ।

18. बिना किसी अनुचित रुकावट के किसी सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रणाली इंजीनियरी कम्पनियों को प्रतिष्ठापित करके कम्प्यूटर अनुप्रयोगों को संवर्धित किया जाता रहेगा और यह तब तक रहेगा जब तक देशीय संसाधनों के कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उप-प्रणालियों को लाया जाता है ।

19. उपर्युक्त नीति संरचना के परिवेश में आई० एम० एस० सी० के जरिए इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यविधियों के समस्त ब्यौरे बनाये जायेंगे । आई० एम० एस० सी० के जरिए इलेक्ट्रानिकी विभाग को समय-समय पर कार्यविधि और नीतियों को व्याख्यायित करने और उनके कार्यान्वयन के परिचालनार्थ अधिकार भी प्रदान किए गए हैं ।

(ख) आयात :

1. क(1) में उल्लिखित इलेक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत वही अन्तः मंत्रिमण्डलीय स्थायी समिति (आई० एम० एस० सी०) कम्प्यूटरों के आयात के आवेदनों और साथ ही यंत्रेतर सामग्री के निर्यात को सुकरता प्रदान करने के लिए आयात की भी जांच करेगी । इस वाद के उद्देश्य के लिए, आई० एम० एस० सी० वाणिज्य मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को एक सदस्य के रूप में लेगी। इलेक्ट्रानिकी विभाग की सी० सी० आई० विंग को सीधे ही सभी आवेदन भेजे जाएं।

2. कम्प्यूटरों, कम्प्यूटरों पर आधारित प्रणाली और कम्प्यूटर उप-प्रणालियों यथा एक आयातित सी० पी० यू० के साथ जोड़ने के लिए परिधीय उपकरणों के आयात को केवल वास्तविक अन्तिम प्रयोक्ताओं के लिए स्वीकृत किया जायेगा।

3. देशीय विनिर्माण में उदार गतिविधियों को अपनाते हुए देशीय कम्प्यूटर आयातित कम्प्यूटरों की प्रतिस्पर्धा में प्रभावशाली ढंग से समर्थ होंगे, जिन पर पर्याप्ततः उच्च संरक्षी आयात शुल्क लगाया जायेगा । वास्तविक प्रयोक्ता को पर्याप्ततः उच्च संरक्षी शुल्क अदा करते हुए उदार प्रक्रियाओं के आधार पर सम्पूर्ण प्रणालियों के रूप में दस लाख रुपए सी० आई० एफ० से कम लागत की मानकीकृत ई० डी० पी० प्रणालियों के आयात करने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। यह एक अप्रैल, 1985 से प्रभावी होगा जब की शुल्क दर भी घोषित की जायेगी ।

इलेक्ट्रानिकी विभाग समय-समय पर ऐसे आयातों पर पर्याप्ततः कम स्तरों के शुल्क की सिफारिश पेश करेगा जिससे की समतुल्य आयातित प्रणालियों के संदर्भ में स्थानीय विनिर्माण अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके ।

4. कम्प्यूटरों और प्रधानतः कम्प्यूटर आधारित प्रणालियों, जिनकी लागत दस लाख रुपए सी० आई० एफ० से ज्यादा है, के आयात के लिए वास्तविक प्रयोक्ता को इलेक्ट्रानिकी विभाग में आवेदन करना होगा जो कि आवेदनों की वांछनीयता, अनिवार्यतः तथा देशीय उपलब्धता की दृष्टि से आवेदनों की जांच करेगा ।

यदि कम्प्यूटर का प्रयोग वांछनीय है तथा देश में वह अनुपलब्ध है तो मानकीकृत सूची से कम स्तर के शुल्क पर प्रयोक्ता को आयात करने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी और यह सूची समय-समय पर इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा घोषित की जायेगी। इस सूची में 12 से 18 माडलों को लिया जायेगा और समय-समय पर इसे अद्यतन रखा जायेगा । मानकीकृत सूची का अनुरक्षण अधिक परिमाण की खरीद की उपयोगिता के लिए किया जाएगा तथा इससे यंत्रेतर-सामग्री के विनिमय तथा रख-रखाव में सुविधा होगी। अधिक परिमाण में खरीद के लिए विदेशी-मुद्रा में भारी बचाव की उपयोगिता को देखते हुए इलेक्ट्रानिकी विभाग मानकीकृत सूची के माडलों के विक्रेताओं के साथ सौदा करेगा और एक नियत अवधि के लिए जहां संभव हो दर संबंधी संविदा भी निष्पन्न करेगा ।

5. जहां कम्प्यूटरों या कम्प्यूटर उप-प्रणालियों के आयात की संगत औचित्यपूर्ण खरीद के रूप में जरूरत है या कोई विशेष उद्देश्य वाला कम्प्यूटर देशीय संसाधनों में उपलब्ध नहीं है तो इलेक्ट्रानिकी विभाग की स्वीकृति अनिवार्य है, तब कम स्तर पर शुल्क लगेगा ।

6. उपर्युक्त (4) व (5) के तहत इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा स्वीकृति मिलने पर प्रयोक्ता सीधे ही बात-चीत करने के लिए स्वतन्त्र है और वह आगे प्राप्ति की सभी कार्यवाही करेगा।

7. अगर किसी यथोचित हेतु पर प्रयोक्ता कम्प्यूटर की वास्तविक खरीद के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग की सहायता चाहता है तो इसे इस कार्य के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग से संपर्क करना होगा तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग से एक यथोचित समझौता करना होगा कि कैसे कम्प्यूटर की प्राप्ति हो।

8. देश में ही वाणिज्यिक-स्तर पर अनुप्रयोग-गत यंत्रेतर सामग्री की उपलब्धता न होने पर वास्तविक प्रयोक्ता के लिए कम स्तर के शुल्क पर आयात करने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी और इलेक्ट्रानिकी विभाग प्रत्येक मामले की पड़ताल करके यह कार्य सम्पन्न करेगा । वास्तविक प्रयोक्ता पर्याप्ततः उच्च संरक्षी-शुल्क वाली किसी यंत्रेतर-सामग्री के लिए ओ० जी० एल० सुविधा प्राप्त कर सकता है और उसे पहिले लिखित-रूप में इलेक्ट्रानिकी विभाग को सूचित करना होगा । इसके अतिरिक्त, जहां संभव हो इलेक्ट्रानिकी विभाग यंत्रेतर-सामग्री के केन्द्रित आयात की व्यवस्था करेगा, जो कि विनिर्माताओं और प्रयोक्ताओं को "बिना लाभ व हानि आधार" पर वितरित की जायेगी ।

9. आयातित कम्प्यूटरों तथा मुख्यतः कम्प्यूटर आधारित आयातित प्रणालियों का रख-रखाव देशीय वास्तविक प्रयोक्ता या सी० एम० सी० लिमि० या इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा निर्धारित किसी एजेंसी द्वारा सम्पन्न होगा । आयातित कम्प्यूटर प्रणालियों के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा निर्धारित एजेंसी या सी० एम० सी० या प्रयोक्ता को वारंटी के अनुरक्षणार्थ अतिरिक्त पुर्जे, औजार, परीक्षण उपकरण के आयात के लिए स्वीकृति प्रदान की जायेगी और यह अगर जरूरत हो तो सी० सी० पी० लाइसेंस के आधार पर होगी ।

10. आई० एम० एस० सी० के जरिए इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा विभाग के सी० सी० आई० विंग में आवेदन-पत्र के पंजीकरण के दो माह के भीतर सभी आयात आवेदन पत्रों पर कार्यवाही होगी । ये आवेदन पत्र समय-समय पर अधिसूचित प्रोफार्मा के अनुसार भरे होने चाहिए ।

11. सभी वास्तविक प्रयोक्ताओं जिन्होंने कम्प्यूटरों का आयात किया है या देशीय कम्प्यूटरों को खरीदा है और जिन्हें राजभाषा अधिनियम के तहत हिंदी का प्रयोग करना है, उन्हें अंग्रेजी के अतिरिक्त देवनागरी में डाटा के आगम-निर्गम के संसाधन के लिए प्रणाली के प्रतिष्ठापन के दो वर्ष के भीतर या इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के दो वर्ष के भीतर (इनमें से जो भी पहले हो) अपनी कम्प्यूटर सुविधा को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

12. उपर्युक्त नीति-संरचना के परिवेश में आई० एम० एम० सी० के जरिए इलैक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा समय-समय पर कार्य-वधियों के समस्त ब्यौरे बनाए जायेंगे। आई० एम० एस० सी० के जरिए इलेक्ट्रानिकी विभाग को कार्यविधियों और नीतियों को समय-समय पर व्याख्यायित करने और उनके कार्यान्वयन के परिचालनार्थ भी अधिकार प्रदान किए गए हैं।

(ग) यंत्रेतर-सामग्री का विकास एवं निर्यात :

1. इलेक्ट्रानिकी विभाग व्यापक-तौर पर अनुसंधान, अभि-कल्पन और विकास सुविधा प्रतिष्ठापित करेगा। इस संघटन को मात्र देशीय प्रयासों के जरिए जानकारी विकसित करने के लिए ही प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा बल्कि जहां-कहीं भी हो केन्द्रित आधार पर जानकारी को आयात और उसे आत्मसात करने और लगातार इस जानकारी में सुधार के लिए भी प्रोत्सा-हित किया जायेगा। यह संघटन जानकारी की एक मानकीकृत सूची बनाएगा, जिससे कि यह इच्छुक प्रयोक्ताओं और उद्यम-कर्ताओं को उपलब्ध हो सके।

2. इलेक्ट्रानिकी विभाग एक यंत्रेतर-सामग्री संवर्धन एजेंसी प्रतिष्ठापित करेगा। जिससे कि निर्यात और स्थानीय आवश्यकताओं तथा एक एकीकृत प्रयास के रूप में आयात स्थानापन्न के लिए व्यापक यंत्रेतर-सामग्री के प्रयासों एवं जनशक्ति के विकासार्थ एक प्रेरक -शक्ति हासिल हो।

3. अविच्छिन्न आधार पर प्रभावी यंत्रेतर-सामग्री का निर्यात सभी प्रभावशाली ढंग से कार्य करता रहेगा यदि समग्र यंत्रेतर-सामग्री संवर्धन योजना के एक भाग के रूप में निर्यात तथा आंतरिक जरूरतों, जिनमें आयात स्थापन्न भी शामिल है, को लेकर इसे आयोजित किया जाए। इसके अलावा, यंत्रेतर-सामग्री के विकास का आयोजन यंत्रेतर-सामग्री के विकास तथा प्रणाली इंजीनियरी की योजना के साथ संलग्न है। जनवरी, 1982 की यंत्रेतर-सामग्री निर्यात संवर्धन नीति लागू रहेगी परन्तु उसमें निम्नांकित संशोधन होंगे :—

(i) अब तक 100 प्रतिशत निर्यात योजनाओं की सामान्य अवसंरचना कम्प्यूटर वस्तुओं पर प्रयोग में लाई जाती रहेगी।

(ii) श्रेणी "ए" व "बी' योजना आयात-निर्यात नीति अप्रैल, 1984—मार्च, 1985, भाग—I अध्याय—5, पैरा—22 में निर्दिष्ट रूप में संशोधित कर दी गयी है।

(iii) वर्तमान यंत्रेतर-सामग्री निर्यात योजना में श्रेणी "सी" निम्नांकित अतिरिक्त प्रावधानों को छोड़कर प्रचलित आधार पर ही चलती रहेगी :—

(अ) निर्यातकों को निम्नांकित दो विकल्प मिलेंगे :—

(i) सीमा-शुल्क बांडिंग को लेकर या तो पूरे शुल्क की छूट।

(ii) या, सीमा-शुल्क बांडिंग को छोड़कर शुल्क की अदायगी।

(ब) निर्यात उपार्जन का 50 प्रतिशत श्रेणी "ए" व "बी" को उपलब्ध आधार पर ही निर्यातक को मिलता रहेगा।

(स) 100 प्रतिशत यंत्रेतर-सामग्री निर्यात योजना के तहत उपलब्ध सभी सुविधाएं और प्रोत्सा-हन श्रेणी "सी" को भी मिलेंगे।

(iv) यंत्रेतर-सामग्री निर्यात विदेशी कम्प्यूटरों के साथ उपग्रहों पर आधारित डाटा-लिंकों के जरिए भी संवर्धित किए जाएंगे। इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा संचार मंत्रालय/डाक-तार विभाग के समन्वय स्थापित कर यह कार्य संपन्न किया जायेगा।

(v) राष्ट्रीय कम्प्यूटर नेट वर्क, इण्डोनेट प्रधानतः सरकारी व निजी क्षेत्रों के उद्यमों से यंत्रेतर-सामग्री संवर्धनार्थ उपलब्ध होगा, लघु क्षेत्र में यंत्रेतर-सामग्री केन्द्रों पर इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(vi) किसी भी यंत्रेतर-सामग्री निर्यात योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटरों के आयात के लिए एक विशेष कम शुल्क की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(घ) कार्यान्वयन :

1. उपर्युक्त निर्दिष्ट संशोधित नीतियां और कार्यविधियां तुरन्त ही इस प्रेस नोट की जारी होने वाली तारीख से ही प्रभावी हो जायेंगी।

2. उपर्युक्त ख (3) में उल्लिखित आधार पर कम्प्यूटरों का आयात अप्रैल, 1985—मार्च, 1986 की अवधि के लिए आयात-निर्यात नीति की घोषणा होने पर लागू हो जाएगा।

3. वित्त मंत्रालय से अगले नोटिस होने तक विशेष शुल्क स्तरों से संबंधित अधिसूचनाएं उनके द्वारा अलग से जारी की जायेंगी।

4. उपर्युक्त निर्दिष्ट नीतियों और कार्यविधियों द्वारा नियमित सभी मामले जिन पर किसी विशेष आधार के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अधिसूचनाएं जारी होनी हैं, उन्हें वर्तमान नीतियों और कार्यविधियों के अनुसार अन्तरिम रूप में इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा निष्पन्न किया जायेगा।

आदेश :

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निम्न-लिखित को भेजी जाये :—

1. राष्ट्रपति का सचिवालय।
2. प्रधानमंत्री का कार्यालय।
3. मंत्रिमण्डल सचिवालय।
4. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक।
6. सभी राज्य सरकारों व संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
7. अध्यक्ष, उत्पाद और सीमाशुल्क का केन्द्रीय बोर्ड
8. आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक।
9. तकनीकी विकास महानिदेशालय।
10. भारतीय राजदूतावासों के विज्ञान परामर्शदाता।
11. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी के राज्य मंत्री
12. अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी आयोग।
13. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग।
14. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के सभी संभाग/अनुभाग।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

न० शेषगिरि अपर सचिव

कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशा० सुधार, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 1986

संशोधन

सं० 10/3/86–सी० एस०– –हिन्दी रूपान्तर के लिए संशोधन पर्ची—

क्र० सं०	अधिसूचना की पृष्ठ संख्या	कालम सं०	पैरा संख्या लाइन संख्या	किए जाने वाले संशोधन
1	2	3	4	5
1.	545	1	प्रारंभिक पैरा (/)लाइन 4 के बाद ।	"आशुलिपिक सेवा'
2.	545	2	4(ङ) 3 तथा 4 लाइन	जंजीबार के बाद (" ")
3.	545	2	5 लाइन—1	"उम्मीदवार भी" के स्थान पर "उम्मीदवार को"
4.	545	2	5, टिप्पणी—2 लाइन—2	"बैट" के स्थान पर "बैठे"
5.	545	1	6(ख) लाइन —6	"नियमत" के स्थान पर "नियमित"
6.	546		पैरा 6(ग) 4 लाइन 2	भारी के स्थान पर "भारत"
7.	546	2	पैरा 6 (ग) 7 लाइन 3	टंगनिका के स्थान पर "टंगानिका"
8.	546 और 547	2 और 1	पैरा 6(ग) 14 और 15	जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी 1987 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (i) कदाचार और अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल की समाप्ति पर कार्यमुक्त हुए हैं इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 1987 से छः महीने के अन्दर पूरा होना है (ii) या सैनिक सेवा में हुई शारीरिक अपंगता या (iii) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक। उपर्युक्त श्रेणियों में आने वाले ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऊपरी आयु सीमा में अधिक से अधिक 10 वर्ष की छूट होगी जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित है। (15) आपात्कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त ऐसे अधिकारियों के मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष जिन्होंने सैन्य सेवा की पांच वर्ष की नियुक्ति की अपनी प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है तथा जिन्हें इसके पश्चात् सैन्य सेवा में रखा जाता है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाण पत्र जारी करता है कि वे सिविल नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं तथा यह कि वे सिविल रोजगार प्राप्त करने पर 3 मास के नोटिस पर कार्यमुक्त कर दिए जाएंगे।
9.	548	2	पैरा सं० 7(ख) लाइन 2	"1" को विलोपित किया जाए।
10.	550	1	परिशिष्ट II पैरा। लाइन 2	ग्रेड "ग" (रु० 425–800) के बाद ग्रेड "घ" (रु० 330–560) न कि पुनः ग्रेड "ग"
11.	550	2	पैरा 6(iii) लाइन 1	iii के बाद "क"
12.	550	2	पैरा 6(iii) (ङ) लाइन 5	"शामिल" के स्थान पर "शासित"

एच० जी० मंडल, अवर सचिव

महासागर विकास विभाग

नई दिल्ली–110003, दिनांक 3 नवम्बर 1986

संकल्प

सं० म० वि० वि०/8-पी० सी०/6/84—भारत सरकार (महासागर विकास विभाग) के दिनांक 30 अप्रैल, 1985 के समसंख्यक संकल्प जिसके द्वारा "विशेष रूप से तेल निस्सरण द्वारा होने वाले समुद्री प्रदूषण के नियंत्रण पर समिति" का गठन किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति, उक्त समिति के गठन में जहाजरानी महानिदेशालय के मुख्य सर्वेक्षक को महानिदेशक, जहाजरानी महानिदेशालय के स्थान पर सदस्य के रूप में नामित करते हैं ।

2. दिनांक 30 अप्रैल 1985 के संकल्प में उल्लिखित अन्य बातें वही रहेंगी ।

आदेश—

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति निम्नलिखित को सम्प्रेषित की जाए :—

1. समिति के सभी सदस्य ।
2. मंत्रिमण्डल सचिव (3 प्रतिलिपियां)
3. संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार/एकीकृत वित्त प्रभाग/निदेशक (एम०)
4. महासागर विकास विभाग के राज्यमंत्री ।
5. प्रधान मंत्री का कार्यालय ।

एम० एम० के० सरदाना, संयुक्त सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 1986

संकल्प

सं० पी०–39014/1/86–विपणन—ऐसा निर्णय लिया गया है कि देश में एल० पी० जी० उपभोक्ताओं को, उनकी सुरक्षा को ध्यान मे रख कर, बेहतर सेवा प्रदान करने की समस्या के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और इस संबंध में उपयुक्त सुझाव देने हेतु इस मंत्रालय के दिनांक 14 अगस्त 1986 के समसंख्यक संकल्प द्वारा गठित समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल किए जाएं :—

1. श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन, सांसद (लोक सभा)
2. श्री लाल विजय प्रताप सिंह, सांसद (लोक सभा)

2. उपर्युक्त सदस्यों के यात्रा व्यय का भार तेल समन्वय समिति द्वारा वहन किया जाएगा ।

3. समिति की नियुक्ति से संबंधित अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

आदेश —

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत सरकार के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

अरविन्द वर्मा, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 1986

संकल्प

सं० 9-2/85–सी०ए०–I—भारत सरकार ने अपने 19 अक्तूबर, 1977 के संकल्प संख्या 48012/6/76–सी०ए० I के तहत स्थापित भारतीय काजू विकास परिषद का तत्काल पुनर्गठन करने का निर्णय किया है । परिषद का पुनर्गठन निम्न- प्रकार से होगा ।

I. अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नामित गैर सरकारी व्यक्ति

II. उपाध्यक्ष बागवानी आयुक्त, भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग ।

III. सदस्य

(क) संसद सदस्य, संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामित किए जाने वाले तीन संसद सदस्य (दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से)

(ख) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

(क) सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामित किए जाने वाले निम्नलिखित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के बागवानी/कृषि विभागों से एक-एक प्रतिनिधि :—

(1) आन्ध्र प्रदेश
(2) गोवा, दमण और दीव
(3) कर्नाटक
(4) केरल
(5) महाराष्ट्र
(6) उड़ीसा
(7) तमिलनाडु
(8) पश्चिम बंगाल

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले उस राज्य सरकार के मृदा संरक्षण विभाग का एक प्रतिनिधि ।

(ग) राज्य सरकारों के निम्नलिखित संगठनों से एक-एक प्रतिनिधि:—

(1) प्रबन्धक निदेशक, उड़ीसा राज्य काजू विकास निगम, भुवनेश्वर ।

(2) प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश वन विकास निगम, हैदराबाद ।

(3) प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक काजू विकास निगम, मंगलौर

(4) प्रबन्ध निदेशक, केरल काजू विकास निगम, क्विलान (केरल)

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि —

(1) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ।

(2) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

(3) विस्तार के प्रभारी संयुक्त सचिव या उसका नामित व्यक्ति ।

(4) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या काजू अनुसंधान से संबंधित उसका नामित व्यक्ति ।

(5) महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली या काजू प्रोसेसिंग टैक्नोलॉजी से सम्बन्धित उसका नामित व्यक्ति ।

(6) परियोजना समन्वयक (काजू) केन्द्रीय प्लानटेशन फसल अनुसंधान संस्थान, पोस्ट कुडुलु, कासरगढ़, केरल ।

(7) कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग या उसका नामित व्यक्ति ।

(8) खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति विभाग) का एक प्रतिनिधि ।

(9) संयुक्त आयुक्त (बागवानी) कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार ।

(घ) कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि —

निम्नलिखित, कृषि विश्वविद्यालयों का एक-एक प्रतिनिधि :

(1) उपकुलपति, केरल कृषि विश्वविद्यालय कोचीन या उसका नामित व्यक्ति ।

(2) उपकुलपति, कृषि वैज्ञानिक विश्वविद्यालय बगलौर या उसका नामित व्यक्ति ।

(3) उपकुलपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय या उसका नामित व्यक्ति ।

(4) उपकुलपति, कोंकण कृषि विद्यापीठ, महाराष्ट्र दिपोल्ली–415712 (जिला रत्नागिरी) या उसका नामित व्यक्ति

(5) उपकुलपति, आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर हैदराबाद या उसका नामित व्यक्ति ।

(ङ) उत्पादकों के प्रतिनिधि

निम्नलिखित प्रमुख काजू उत्पादक राज्यों से सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामित किए जाने वाले उत्पादकों के 8 प्रतिनिधि :—

(1) आन्ध्र प्रदेश

(2) गोवा, दमण और दीव

(3) केरल

(4) कर्नाटक

(5) महाराष्ट्र

(6) उड़ीसा

(7) तमिलनाडु

(8) पश्चिम बंगाल

(च) व्यापार के प्रतिनिधि

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सिफारिश किए जाने वाले व्यापार के तीन प्रतिनिधि ।

(छ) उद्योग के प्रतिनिधि

उद्योग विकास विभाग द्वारा सिफारिश किए जाने वाले उद्योग के तीन प्रतिनिधि ।

(झ) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सिफारिश किए जाने वाले और अन्य व्यक्ति जिन्हें आवश्यक समझा जाएं ।

(1) काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद का एक प्रतिनिधि ।

(2) महा प्रबन्धक (तकनीकी) राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, पूनम चैम्बर्स, डा० एनी बेसैन्ट रोड, वर्ली, बम्बई–400018 या उस नामित व्यक्ति ।

4. सदस्य सचिव

कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के अधीन निदेशक, काजू विकास निदेशालय कोचीन ।

5. प्रेक्षक :—

(जो परिषद के सदस्य नहीं होंगे, परन्तु इन्हें परिषद की कार्यवाही में सहायता देने के लिए अनिवार्यतः आमंत्रित किया जाएगा) ।

(1) अध्यक्ष, भारतीय काजू निगम, नई दिल्ली या उसका प्रतिनिधि

(2) वित्त सलाहकार, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) नई दिल्ली ।

(3) अर्थ और सांख्यिकी सलाहकार, कृषि मंत्रालय या उसका प्रतिनिधि ।

(4) निदेशक, निर्यात निरीक्षण एजेंसी, कोचीन ।

2. परिषद एक सलाहकारी निकाय होगा और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(1) केन्द्र तथा राज्य दोनों क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना तथा कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(2) उत्पादन, परिसंस्करण और विपणन के सम्बन्ध में उपलब्ध प्रौद्योगिकी का जायजा लेना तथा अनुसंधान और विस्तार में आपसी सम्पर्क बनाते हुए उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसके/अपनाना ।

(3) विभिन्न एजेंसियों की आवश्यकतानुसार पौद रोपण सामग्री की जरूरतों का मूल्यांकन करना और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए उपाय सुझाना ।

(4) घरेलू और निर्यात बाजार दोनों में काजू की मांग पर विचार करना तथा यदि आवश्यक समझा गया तो कच्चे काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार को उपयुक्त सिफारिश करना ।

(5) काजू परिसंस्करण उद्योग की जरूरतों और इस उद्योग में विविधता लाने के लिए उपायों को पता लगाना ।

(6) काजू उत्पादन के सम्बन्ध में छोटे और सीमान्त किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और इसकी पूर्ति के लिए उपाय सुझाना ।

(7) काजू उद्योग से सम्बन्धित किसी भी अन्य मामले पर सरकार को सलाह देना ।

3. परिषद को विशेष मुद्दों पर विचार करने के लिए स्थायी समिति, तकनीकी समिति और तदर्थ समिति स्थापित करने की और विशिष्ट परियोजनाओं के लिए जब कभी आवश्यक हो कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य विशेष हितों के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने की शक्ति प्राप्त होगी ।

4. परिषद समय-समय पर ऐसे क्षेत्रों में बैठकें करेगी जहां काजू उगाए जाते हैं और जो व्यापार तथा उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्र है और भारत सरकार को सिफारिश करेगी ।

5. परिषद तब तक काम करता रहेगा जब तक इसे सरकार के संकल्प द्वारा समाप्त नहीं किया जाता है । परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि परिषदों में उनके नामजद किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की होगी, बशर्ते कि भारत सरकार के विशेष आदेश द्वारा इस अवधि को घटाया अथवा बढ़ाया नहीं जाता ।

6. संसद सदस्यों में से नामजद किए गए सदस्य संसद सदस्य न बने रहने की स्थिति में परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों और भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान-मंत्री कार्यालय, लोकसभा और राज्य सभा सचिवालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, कृषि विश्वविद्यालयों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

दिनांक 13 नवम्बर 1986

संकल्प

सं० 9-3/85-फसल प्रशासन-I—भारत सरकार ने भारतीय आलू विकास परिषद् का तत्काल से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है । पुनर्गठित परिषद निम्न प्रकार बनायी जायेगी —

1. अध्यक्ष — भारत सरकार द्वारा एक गैर-सरकारी व्यक्ति नामजद किया जाएगा ।

2. उपाध्यक्ष — बागवानी आयुक्त,
कृषि मंत्रालय
कृषि और सहकारिता विभाग,
नई दिल्ली ।

3. सदस्य

(क) संसद सदस्य —संसदीय कार्य विभाग द्वारा संसद के तीन सदस्य (तीन लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से नामजद किए जाते है ।)

(ख) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

(1) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि

(2) अध्यक्ष, कृषि उत्पाद तथा संसाधित उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली ।

(3) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के नागरिक आपूर्ति विभाग का एक प्रतिनिधि ।

(4) निदेशक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला

(5) परियोजना समन्वयक (आलू), केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ।

(6) कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली ।

(7) निदेशक, खाद्य तथा सब्जी संसाधन, खाद्य विभाग, नई दिल्ली ।

(8) प्रबन्ध निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली ।

(ग) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

निम्नलिखित राज्य सरकारों के बागवानी/कृषि विभाग में प्रत्येक राज्य से एक प्रतिनिधि जो सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किए जाते हैं :—

(1) असम
(2) बिहार
(3) गुजरात
(4) हिमाचल प्रदेश
(5) कर्नाटक
(6) मध्य प्रदेश
(7) महाराष्ट्र
(8) मेघालय
(9) पंजाब
(10) तमिलनाडु
(11) उत्तर प्रदेश
(12) पश्चिम बंगाल

(घ) कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि

निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक प्रतिनिधि ।

(1) कुलपति या उनके द्वारा नामजद व्यक्ति
राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,
डाकखाना पूसा
जिला समस्तीपुर (बिहार)

(2) कुलपति या उनके द्वारा नामजद व्यक्ति, तमिलनाडु
कृषि विश्वविद्यालय
कोयम्बतूर (तमिलनाडु)

(3) कुलपति, या उनके द्वारा नामजद व्यक्ति,
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय, पंत नगर,
जिला नैनीताल (उत्तर प्रदेश)

(झ) उत्पादकों के प्रतिनिधि

उत्पादकों के बारह प्रतिनिधि, जो निम्नलिखित प्रमुख आलू उत्पादक राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किए जाने हैं :

(1) असम
(2) बिहार
(3) गुजरात
(4) हिमाचल प्रदेश
(5) कर्नाटक
(6) मध्य प्रदेश
(7) महाराष्ट्र
(8) मेघालय
(9) पंजाब
(10) तमिलनाडु
(11) उत्तर प्रदेश
(12) पश्चिम बंगाल

(ञ) व्यापार के प्रतिनिधि

भारत सरकार द्वारा वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश पर दो प्रतिनिधि नामजद किए जाने हैं ।

(ट) उद्योग के प्रतिनिधि

भारत सरकार द्वारा उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग की सिफारिश पर दो प्रतिनिधि नामजद किए जाने हैं ।

(ज) शीतागार एककों के प्रतिनिधि

असम, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, और उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा प्रत्येक राज्य से एक प्रतिनिधि नामजद किया जाना है ।

(झ) ऐसे अतिरिक्त व्यक्तियों, जिन्हें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामजद किया जाएगा ।

4. सदस्य सचिव

निदेशक (बागवानी), कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग या कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा नामजद द्वारा नामजद कोई अन्य अधिकारी

5. प्रेक्षक

(जो परिषद् के सदस्य नहीं होंगे, लेकिन विचार-विमर्श के दौरान परिषद् को सहायता करने के लिए आमन्त्रित किए जायेंगे ।

(1) वित्तीय सलाहकार,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि मंत्रालय ।

(2) अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि मंत्रालय ।

(3) पौध संरक्षण सलाहकार,
कृषि और सहकारिता विभाग,
कृषि मंत्रालय ।

(4) रेल मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

2. परिषद् एक सलाहकार निकाय होगी, जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(1) केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में आलू से सम्बन्धित विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना तथा आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश करना,

(2) विभिन्न एजेंसियों द्वारा अपेक्षित रोपण सामग्री की आवश्यकताओं को आंकना तथा इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपाय सुझाना;

(3) देशी तथा निर्यात बाजार में आलू की विभिन्न किस्मों की मांगों पर विचार करना तथा उचित विकास कार्यक्रमों द्वारा उक्त मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध के बारे में सरकार को सलाह देना;

(4) आलू के उत्पादन, संसाधन तथा विपणन के सम्बन्ध में उपलब्ध प्रौद्योगिकी का जायजा लेना और अनुसंधान तथा विस्तार के बीच संयोजन के जरिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसे अपनाना;

(5) आलू परिसंस्करण उद्योग की जरूरतों और इसकी विविधता के लिए उपायों का पता लगाना ।

(6) आलू उत्पादन के सम्बन्ध में छोटे और सीमान्त किसानों की विशेष जरूरतों पर विचार करना और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित उपाय सुझाना; और

(7) सरकार को समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले इससे सम्बन्धित अन्य मामलों पर सलाह देना ।

3. भारतीय आलू विकास परिषद् की स्थायी समिति, तकनीकी समिति तथा तदर्थ समिति स्थापित करने विशेष मामलों पर विचार करने के लिए और विशेष प्रयोजनों के लिए आवश्यकतानुसार किसी भी संगठन से और अन्य विशेष हितों के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने के अधिकार होंगे ।

4. इस परिषद् की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी । ये बैठकें अधिमानतः आलू उत्पादन करने वाले विभिन्न राज्यों में होंगी ।

5. यह परिषद् तब तक कार्य करती रहेगी जब तक इसको सरकार के संकल्प द्वारा समाप्त नहीं किया जाता । परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल उनके परिषद में नामजद किए जाने की तिथि से तीन वर्ष होगा, बशर्ते यह अवधि भारत सरकार के विशेष आदेश द्वारा कम या अधिक न की जाए ।

6. परिषद् के वे सदस्य, जो संसद सदस्यों में से नामजद किए जाते हैं तब तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जब तक वे संसद के सदस्य हैं ।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों और भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

2 यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० वी० शेनोय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 1986

संकल्प

सं० 48(8)/81-भेड़--केन्द्रीय भेड़ विकास परामर्शदात्री परिषद के पुनर्गठन के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के संकल्प सं० 48(8)/81-भेड़ दिनांक 3-1-1986 के साथ पठित संकल्प सं० 48(8)/81-भेड़ दिनांक 8-11-1985 के अनुक्रम में भारत सरकार ने श्री रामकरन पाल, रामपुर, गया, बिहार को किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० पी० वर्मा
अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 1986

सं० एफ० 12-12/85-डी०-III(शा० शि०)--मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की अधिसूचना सं० एफ० 12-12/85-डी०-III (शा०शि०) दिनांक 1 सितम्बर, 1986 में, जिसमें राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसायटी के शासी निकाय का गठन किया गया था, तत्काल से निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :--

(I) वर्तमान प्रविष्टि

"II. उपाध्यक्ष

2. श्रीमती मारग्रेट अलवा,
युवा कार्य तथा खेल राज्य मंत्री"

संशोधन करके इसको इस प्रकार पढ़ा जाएगा

"II. सदस्य

2. श्रीमती मारग्रेट अलवा
युवा कार्य तथा खेल राज्य मंत्री"

(II) वर्तमान प्रविष्टि

"III. भारत सरकार के प्रतिनिधि (3) पदेन

3. युवा कार्य तथा खेल के प्रभारी संयुक्त सचिव

4. शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव

5. अपर-सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय"

संशोधित करके इसको इस प्रकार पढ़ा जाएगा

"III. भारत सरकार के प्रतिनिधि (2) पदेन

3. युवा कार्य तथा खेल के प्रभारी संयुक्त-सचिव

4. अपर सचिव (व्यय)
वित्त मंत्रालय"

(III) अधिसूचना की क्रम सं० "6, 7.....18" में उल्लिखित अन्य प्रविष्टियों को संशोधित करके "5, 6.....17" के रूप में पढ़ा जाएगा" ।

एम० लक्ष्मी नारायण उप सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्तूबर 1986

संकल्प

सं० 14/1/85-हिन्दी :--जल संसाधन मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहकार समिति के गठन सम्बन्धी दिनांक 29 जुलाई, 1986 के समसंख्यक संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :

क्र० सं०	के स्थान पर	पढ़ा जाए
6.	नामित किया जाता है ।	श्री भरतभाई एम० ओडेदरा, सदस्य (लोक सभा)
7.	--तदैव--	श्री एन० तोम्बी सिंह, सदस्य (लोक सभा)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जनसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

श्रीमती बीनू, संयुक्त सचिव,

LOK SABHA SECRETARIAT

(ESTIMATES COMMITTEE BRANCH)

New Delhi-110001, the 20th November 1986

No. 4/1/EC/86.—The Speaker has appointed Smt. Chandra Tripathi, M. P. as the Chairman of the Committee on Estimates (1986-87) w.e.f. 20th November, 1986 for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Shri Chintamani Panigrahi, ceased to be Chairman and Member of the Committee on his appointment as Minister of State in the Ministry of Home Affairs.

N. N. MEHRA, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi, the 28th August 1985

RESOLUTION

No. 5(12)/85-Comp.—The Government of India have had under consideration the formulation of an integrated policy for the Electronics Industry. As a first step in that direction, the President has been pleased to decide that the following INTEGRATED POLICY MEASURES ON ELECTRONICS shall come into effect :

1. *Broad-banding of Industrial Licences*

Henceforth, to optimally utilize the investments, 'Broad Band' licences will be issued for the following :

(i) Entertainment electronics, covering radio receivers, tape recorders, two-in-one, amplifiers, record players, record changers, TV sets—black & white and colour, CCTV systems, but excluding those reserved for small scale industry;

(ii) Computer peripherals;

(iii) Electronic test and measuring instruments, excluding those reserved for small scale industry; and

(iv) Discrete semiconductor devices.

2. *Policy for VCR/VCP and Microwave Ovens* (A separate resolution will be issued in due course.)

3. *Digital Electronic Watches*

The existing industrial and technology policy for electronic watches had reserved the marketing of Digital Electronic Watches (DEW) to the Central and State Public Corporations.

In view of the changed technology, as a result of which very cheap digital electronic watches are now available internationally, the following has been decided :

(a) Semiconductor Complex Ltd. (SCL) would be allowed to manufacture and sell low cost DEW modules to DEW assemblers, both in the State Public Sector and Small Scale Units, as well as other units engaged in the manufacture of mechanical watches, handicrafts, etc.

(b) The small scale units may be permitted to sell low cost DEW or other DEW module based products directly in the market.

If the demand out-strips the capacity of SCL, a second unit in the private sector will be permitted to manufacture these modules.

4. All consumer durable products mentioned in para 1(i) above would be de-licensed for applicants who will not draw on the resources of Financial Institutions.

5. *Quality and Reliability*

Government will set up adequate facilities for quality certification of electronic consumer durable goods so that consumers are assured of reliable products.

NOTE : These policy measures were announced in the Parliament by the Minister of State for Electronics on 21st March, 1985 and notified in the interim, through a Press note of the same date.

6. *Liberal Growth*

At the time of issuing industrial licences for any new product, the anticipated demand in the forseeable future, as well as the techno-commercial viability, will be kept in mind. The Government will insist on a minimum investment in capital equipment to ensure adequate added value in the country and technology absorption and development. A minimum production capacity will be insisted on. Once a licence has been issued, the licence holder will be assured of liberal upward growth.

7. In approving phased manufacturing programmes, the Government will ensure that reliance on imported populated printed circuit boards is reduced and genuine manufacture within the country is encouraged.

8. Indian Companies including those with foreign equity of 40% or less, will no longer be debarred from any field of electronics which is open to the organised private sector, only because of their foreign equity holding.

9. *FERA Companies*

Government would welcome foreign equity companies (i.e. those having more than 40% foreign equity) to set up manufacturing facilities for electronic components, materials and other closely held high technologies, where the country has not been able to invest sufficiently in research and development.

10. Import of technology would be permitted freely to develop an appropriate electronics base in the country. However, industries will be encouraged to establish in-house technology base so that repeated import of technologies does not have to be resorted to.

11. *Location*

Electronics Industry will be allowed to be established in any of the permissible locations. Greater efforts will be made to develop electronics industry in the hill districts on a larger scale.

12. To plan this industry in an integrated manner and to ensure minimum drain on our foreign exchange, it is necessary to have detailed data from all electronic manufacturers, both in the organised and the small scale sectors. It is, therefore, proposed to introduce a compulsory single proforma which would be submitted by the industrial units, once a year, to the Department of Electronics.

13. In order to speed up scrutiny of proposals by financial institutions, they would be encouraged to set up separate cells for electronics and would be invited to participate in the project appraisal committees of the Department of Electronics.

14. The Computer Policy announced on 19th November, 1984 will be suitably extended and applied by the Department of Electronics to electronic control instruments, instrumentation and systems, industrial and professional electronics, and data communication equipment. A separate notification will be issued in this regard.

15. *Components*

Electronic component industry has already been de-licensed vide a Press Note issued by Ministry of Industry and Company Affairs on 16th March, 1985. In light of this, entrepreneurs wishing to set up component industries to produce components could register with the DGTD/SIA.

16. Government had earlier announced that components need to be manufactured in large volume; it is, therefore, proposed to de-reserve some of the components which today are reserved for the small scale sector.

17. Normally, manufacture of components is not permitted from intermediate levels. However, in the case of bipolar, linear and digital integrated circuits where heavy investments are called for, industry will be permitted, to begin with, to assembly from intermediate stage, provided an investment of at least Rs. 5.00 crores is made.

18. *Communicatoins*

In the area of communications, certain product lines were thrown open to the private sector as announced by the Deputy Minister for Electronics in March, 1984. It was

proposed earlier that for switching systems, private party's participation beyond 49% would not be permitted; however, considering the limitations of the Governments resources and the gap in availability which is likely to emerge in the switching area, it is now proposed to set up an ESS factory using the technology that is being developed indigenously by the Centre for Development of Telematics (CDOT). The investment of the Government in this venture would be restricted to 26%, 25% would be offered to a private sector party and 49% would be thrown open to the general public.

19. *Research and Development*

In order that our electronics industry in the Eighth Five Years Plan does not have to depend largely on foreign technologies as is the position today, the Government has taken up several major research and development programmes. It has set up a Centre for Development of Telematics (CDOT); it has been encouraging research through the National Radar Council; it is rendering financial assistance for research in educational institutions and public sector enterprises through its Technology Development Council. It has recently announced the setting up of a National Microelectronics Council and proposes to set up a Centre for Development of materials for electronics.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to :

1. The President's Secretariat.
2. The Prime Minister's Office.
3. Cabinet Secretariat.
4. All Ministries/Departments of the Government of India.
5. Comptroller & Auditor General of India.
6. Chief Secretaries of All State Governments including Union Territories.
7. Chairman, Central Board of Excise & Customs.
8. Chief Controller of Imports & Exports.
9. Directorate General of Technical Development.
10. Science Counsellors in Indian Embassies.
11. Minister of State for Science & Technology and Electronics.
12. Chairman of Electronics Commission.
13. Secretary, Department of Electronics.
14. All Divisions/Sections of DOE.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. 5(12)/85-Comp.—The Government of India have had under consideration, the question of reviewing the existing policy for manufacture, import and export of computers and computer-based systems. As a first step in that direction, the President has been pleased to decide that the following revisions be made to the existing policy and procedure for manufacture, import and export of computers and computer-based systems.

The revision is broadly aimed at accomplishing the following basic objectives :

(i) Enable manufacture in the country, of computers based on the latest technology, at prices comparable with international levels and progressively increase indigenisation consistent with economic viability.

(ii) Simplify existing procedures to enable users to obtain computers of their requirements either from indigeneous sources or from overseas sources mainly regulated through fiscal measures.

(iii) Promote appropriate applications of computers which are of development catalysing nature with due regard for long term benefit of computerisation to the country as a whole.

The revised policy and procedures given below pertaining to computers and their associated subsystems like peripherals are software and computer-based systems in which the computer is a major subsystem.

A. *Manufacture* :

1. All regulatory measures concerning manufacture like scrutiny of applications for Letters of Intent, Industrial Licenses, Foreign Collaboration, Phased Manufacturing Programmes (PMP) and CG & Raw-material imports, will be exercised by the existing Inter-Ministerial Standing Committee (IMSC) under the Department of Electronics (DOE) which has been designated for this extended purpose. The computer, Computer-Communication and Instrumentation (CCI) Wing of the Department of Electronics will continue to be the Secretariat for this Committee. All applications should also be made directly to the CCI Wing of DOE.

2. Manufacture of micro/mini computers including personal computers, microcomputers and VLSI-based minicomputers including those based on 32-bit chips or equivalent (excluding 32 and higher bit super mini/mainframe architecture) will be permitted to any Indian company, i.e., wholly owned Indian companies and companies having foreign equity not exceeding forty per cent, in the private or public sector.

3. The manufacture of CPU of mainframes and super mini-computers will be reserved for a period of two years for manufacture by the public sector. The precise definition of Mainframe range of computers and super minicomputers will be laid down from time to time by DOE.

4. A new classification "Computer and Computer-based Systems" will be introduced for the items covered under this policy. This new classification will be entitled for investment allowance and other incentives available for new industries. Software development and manufacture is classified as "Industry". The industry will be exempted from the purview of the locational policy etc., in view of its specialised high technology nature.

5. The existing capacity restrictions on the organised sector relating to total production value of Rs. 2 crores per year and of five systems per year below Rs. 3 lakhs will be deleted. Manufacture of micro and minicomputer systems will be permitted without any restriction on capacity except a minimum requirement of a vehicle capacity and a phased manufacturing programme (PMP), which will result in manufacture with as high indigenisation as is economically viable. The PMP for progressive realisation of economically viable indigenisation as well as progressive updating of technology would be ensured by the Department of Electronics through the IMSC.

6. For companies supplying CPUs, Peripherals and other subsystems on original equipment manufacture (OEM) basis, liberal import of know-how shall be permitted and the excise duty will be kept at relatively low level with appropriate set-off.

7. A price purchase preference to Public Sector enterprises for Government and Public sector purchase of computers would be available as per prevailing Government policies applicable to this sector.

8. For Research and Development units recognised by DOE, import of designs and drawings will be allowed on OGL.

9. Adequately liberal import of designs and drawings, systems software and utility software will be initially permitted for manufacture and later regulated by PMP and raw material clearance. All applications for such imports should be sent to the CCI-Wing of Department of Electronics and will be examined by the IMSC.

NOTE : These policy measures were notified in the interim, through a Press Note dated 19th November, 1984.

10. The Department of Electronics through IMSC will take appropriate measures for the promotion of standardisation around certain LSI/VLSI chips and peripherals with due regard to indigenously made products.

11. Import of software, where allowed, shall be preferably in the form of source code. Special encouragement will be given to central purchase of source code of software and distribution within the country.

12. To be able to manufacture the final product at internationally competitive prices, it is necessary that components would be made available to manufacturers at as near international prices as possible. Suitable revision of the duty structure on components will be recommended by the Department of Electronics from time to time based on the following principles: Components which are not being manufactured in the country and which are not expected to be manufactured in the near future, will be identified and permitted to be imported at very low levels of import duty. For other components which are manufactured in the country or can be manufactured within a short period, liberal manufacturing facilities will be allowed to be set up taking advantage of economies of scale. Such components will be protected from imports with sufficiently high protective duty. Such duty structures will be recommended from time to time by the Department of Electronics to the Ministry of Finance.

13. The procedure for import of raw materials and components for actual use of the manufacturer would be simplified and expedited. Upto a specified time limit after the registration of import application with the Department of Electronics, the clearance of raw materials will be governed by the IMSC which shall give a decision within two months of the registration of the application.

14. Computers manufactured in the country will be protected from imports through fiscal measures like high protective import duty levels recommended by DOE through the IMSC from time to time. Recommendations will be made to the Ministry of Finance to progressively reduce the import duties in order to encourage reductions in the cost of indigenous manufacture.

15. Procedures will be evolved by DOE through IMSC for making indigenous manufacturers competitive with respect to imports by educational institutions, R&D organizations, Defence Establishments and other categories of organizations for which direct import of computers do not attract import duty.

16. A letter of approval will be cancelled if the party does not take effective steps within a period stipulated by the DOE through IMSC.

17. All local manufacturers would be encouraged to provide capability for bilingual (Hindi and English) input-output facility in the computers manufactured by them from 1986 onwards to meet the demand from those who are required to use Hindi under Official Languages Act.

18. Promotion of applications of computers in any social or economic sector will be carried out by encouraging setting up of System Engineering Companies in the Public and Private sector without undue constraint as long as the computers and computer subsystems are bought from indigenous sources as available.

19. Within the ambit of the above-mentioned policy framework all details of procedures will be laid down by the DOE through the IMSC from time to time. The DOE through the IMSC is also empowered to steer the implementation and interpret the policies and procedures from time to time.

B. *Import* :

1. The same interministerial standing committee (IMSC) under the DOE referred to in A(1) will examine the applications for import of computers for facilitating software exports. For this purpose, IMSC will also have a representative of Commerce Ministry as a Member. All applications should be directly sent to the CCI-Wing of the DOE.

2. Import of computers, computer-based systems and computer subsystems like peripherals for integrating with an imported CPU will be permitted only to actual end users.

3. With liberalisation of domestic manufacture, domestic computers will be enabled progressively to compete with imported computers on which a sufficiently high protective import duty will be levied.

Actual users will be permitted to import standardised BOP systems as complete systems costing less than Rs. 10 lakhs CIF on the basis of liberal procedures by paying a sufficiently high protective duty. This will become effective on 1st April, 1985 when the duty rate will also be announced.

The Department of Electronics will recommend progressively lower levels of duty on such imports from time to time in order to make local manufacture progressively more competitive with respect to equivalent imported systems.

4. For import of computers and predominantly computer-based systems costing more than Rs. 10 lakhs C.I.F., the actual user would be required to apply to the Department of Electronics who would examine the application from the point of desirability of applications, essentiality and indigenous availability.

If the use of the computer is desirable and is not available indigenously the user will be permitted to import at a low level of duty from a standardised list which would be announced periodically by the Department of Electronics. This list would contain between 12 and 18 models and will be periodically updated. The standardised list will be maintained to enable the advantage of bulk purchase and facilitate maintenance and exchange of software. To take advantage of the substantial reduction of foreign exchange for bulk purchase, the Department of Electronics would negotiate with the vendors of the models in the standardised list and execute a rate contract where possible, for a fixed duration of time.

5. Where import of computers or computer subsystems are needed as part of a justified proprietory purchase, or as any special purpose computer not available from indigenous sources, clearance of the Department of Electronics is necessary. A low level of duty would apply.

6. After the clearance has been given by the Department of Electronics for purchase under (4) or (5) above, the user would be free to negotiate directly and take all further procurement action.

7. If for some justifiable special reason, the user wishes to avail of DOE's assistance in the actual procurement of the computer, they may approach DOE for the purpose and come to a proper understanding with DOE on how the computer is to be procured.

8. Import of application software not available commercially in the country would be permitted to actual users with low duty levels on a case to case clearance by DOE. The actual user may avail of OGL facility with a sufficiently high protective import duty for any software after informing, in writing, the Department of Electronics. In addition, where possible, DOE would arrange for centralised import of software for distribution to manufacturers and users on a no-profit no-loss basis.

9. Maintenance of imported computers and predominantly computer-based systems imported will be done either inhouse by the actual user or by the CMC Limited or by any other agency designated by DOE. The DOE designated agency or CMC or the user responsible for the maintenance of imported computer systems, will be permitted to import spares, tools test equipment and software support for warranty maintenance on the basis of CCP licence if so required.

10. All import applications will be processed by the DOE through IMSC within two months of the registration of application in the CCI-Wing of DOE in complete form as per proforma notified from time to time.

11. All actual users who have imported computers of purchased indigenous ones who are required to use Hindi under the Official Languages Act, will be encouraged to augment their computing facilities for input-output processing of data in Devanagari in addition to English within two years of installation of the system of within two years from the date of this Notification, whichever is earlier.

12. Within the ambit of the above-mentioned policy framework, all details of procedures will be laid down by the DOE through the IMSC from time to time. The DOE through the IMSC is also empowered to steer the implementation and interpret the policies and procedures from time to time.

C. *Software Development & Export* :

1. The Department of Electronics will set up an extensive research, design and development facility. This organization will be given special encouragement to not only develop knowhow through indigenous efforts, but also import knowhow on a centralised basis where found advantageous and absorb as well as improve on this knowhow on a continuous basis. This organization would cumulate a standardised menu of knowhow for making them available to interested users and entrepreneurs.

2. DOE will set up a Software Development Promotion Agency to give an impetus to the growth of manpower intensive software development efforts for both exports and local requirements including import substitution as an integrated effort.

3. Effective software export promotion on a sustained basis can be effective in the long run only if it is planned as a part of an overall software promotion scheme covering both export and internal requirements including import substitution. Also, planning for software development is integrally connected with the plan for hardware development and system engineering. The Software Export Promotion Policy of January 1982 will continue to apply but will include the following modifications :

(i) The general structure of 100% export schemes applied as hitherto, will continue to be applicable for computer items.

(ii) Category 'A' and 'B' scheme will be modified as outlined in the Import-Export Policy, April 1984—March 1985, Volume I, Chapter 5, Para 22.

(iii) Category 'C' in the existing Software Export Scheme will continue in its present form except for the following additional provisions :

(a) The following two options will be available to the exporter :

(i) either complete duty exemption with custom bonding,

(ii) or, duty payment without custom bonding.

(b) 50 per cent of export earning will be available to the exporter on the same basis as for categories 'A' and 'B'.

(c) All facilities and incentives available under the 100 per cent software report scheme will be available to Category 'C' scheme also.

(iv) Software exports shall also be promoted through satellite-based data links with overseas computers. This will be carried out by DOE in coordination with the Ministry of Communication/ P&T Department.

(v) The National Computer Network, INDONET, will be made available predominantly to promote software export from public and private sector enterprises with special consideration for software houses in the small scale sector.

(vi) For import of computers under any of the software export schemes, a special low duty window will be provided.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to :

1. The President's Secretariat.
2. The Prime Minister's Office.
3. Cabinet Secretariat.
4. All Ministries/Departments of the Government of India.
5. Comptroller & Auditor General of India.
6. Chief Secretaries of All State Governments including Union Territories.
7. Chairman, Central Board of Excise & Customs.
8. Chief Controller of Imports & Exports.
9. Directorate General of Technical Development.
10. Science Counsellors in Indian Embassies.
11. Minister of State for Science & Technology and Electronics.
12. Chairman, Electronics Commission.
13. Secretary, Department of Electronics.
14. All Divisions/Sections of DOE.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. SESHAGIRI, Addl. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSION

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING

New Delhi, the 14th November 1986

CORRIGENDUM

No. 10/3/86-CH.II.—The following corrections to the Rules pertaining to the Department of Personnel & Training published in the Gazette of India, Part-I, sec. I, week ending August 16, 1986 (Sravana 25, 1908) at pages 557 to 563 are notified for general information :—

S. No.	Page No. of Notification	Col. No.	Para No. with line Number	Correction to be made
1.	557	1	Opening para Line 3	1987 instead of 9187
2.	Do.	Do.	Opening—(i) para	Stenographers' instead of tenographers'
3.	Do.	2	4(e)—Line—5	(,) after Zaire instead of (.).
4.	Do.	Do.	6(A)—Line 3	'on' instead of 'of'
5.	558	1	Note—1 Line 1	delete (,) after R. M. S.
6.	Do.	Do.	Note 1—Line 2	'Subordinate offices' instead of 'Subordinate officers'.
7.	Do.	Do.	(C)(i)—Line 2	'Scheduled' instead of 'schedule'.
8.	Do.	Do.	(C) (vi)—Line—3	'—' after 'for'
9.	Do.	Do.	(C) (vi) last line	(;) instead of (.)
10.	Do.	Do.	(C) (Vii) —Line—2	'Scheduled' instead of 'Schedule'.
11.	Do.	Do.	C (vii) Line 4	(,) after Kenya.
12.	Do.	2	(C) (xi)—Line 5	'Scheduled' instead of 'Schedule'.
13.	Do.	Do.	(C) (xiii)—Line 2	Do.
14.	Do.	Do.	(xiv) & (xv)	(xiv) Upto a maximum of five years in case of ex-servicemen and commissioned officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least 5 years Military Service as on 1st Jan. 87 and have been released. (i) on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January, 1987), otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct inefficiency or (ii) on account of physical disability attributable to Military Service or (iii) on invalidment. The upper age limit will be relaxable upto maximum of 10 years in respect of persons falling in the above categories and who belong to Scheduled Castes/Scheduled Tribes. (xv) Upto a maximum of 5 years in case of ECOs/SSCOs who have completed initial period of assignment of 5 years of Military Service and are retained in Military Service thereafter, and in whose case the Ministry of Defence issues a certificate that they can apply for civil employment and that they will be released on 3 months' notice on securing civil employment. The upper age limit will be relaxable upto maximum of 10 years in respect of persons falling in the above category and who belong to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes.
15.	559	1	(C) (xix)	'Scheduled' instead of 'Schedule'
16.	560	1	13—line 10	'in' instead of 'on' .
17.	562	1	B(a) (ii) line 6 & 7	',' each after Government, then and unsatisfactory
18.	563	1	C. 5(iii) line 7	'of 6 and 22' instead of 'of and 22'.

M. G. MANDAL, Under Secy

DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT

New Delhi-110 003, 3rd November 1986

RESOLUTION

No. DOD/8-PC/6/84.—In partial modification of the Government of India (Department of Ocean Development) Resolution of even number dated 30th April, 1985, constituting a "committee on control of marine pollution, particularly by oil discharge", the President is pleased to nominate the Chief Surveyor with the Directorate General of Shipping as a member of the Committee in place of the Director General, Directorate General of Shipping.

2. The other things mentioned in the resolution dated 30th April, 1985 remain unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to—

(1) All Members of the Committee.

(2) Cabinet Secretary (3 copies).

(3) JS & F.A./IFD/Director (M).

(4) Minister of State for Ocean Development.

(5) P.M's Office.

M. M. K. SARDANA, Jt. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 11th November 1986

RESOLUTION

No. P-39014/1/86-MKT.—It has been decided to include the following as Members on the Committee set up vide this Ministry's Resolution of even number dated August 14, 1986 to go into various aspects of the question of providing better service to LPG users in the country, with due regard to safety, and to give suitable suggestions in this regard.

(1) Shri P. R. S. Venkatesan, M.P. (Lok Sabha).

(2) Shri Lal Vijay Pratap Singh, M.P. (Lok Sabha).

2. The Travelling Expenses of the above members will be met by Oil Coordination Committee.

3. Other terms and conditions of appointment of the Committee will remain unchanged.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ARVIND VARMA, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION

New Delhi, the 11th November 1986

RESOLUTION

No. 9-2/85-CA.1.—The Government of India have decided to reconstitute with immediate effect, the Indian Cashewnut Development Council set up vide their Resolution No. 48012/6/76-CA.1 dated the 19th October, 1977. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I. *CHAIRMAN*

A non-official to be nominated by the Government of India.

II. *VICE-CHAIRMAN*

Horticulture Commissioner, Government of India, Department of Agriculture and Cooperation.

III. *MEMBERS*

(A) *Members of Parliament*

Three Members of Parliament (two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha) to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

(B) *Representatives of State Government*

(a) One representative from each of the following State Governments/Union Territories from the Department of Horticulture/Agriculture to be nominated by the respective State Governments :—

(a) Andhra Pradesh

(b) Goa, Daman & Diu

(c) Karnataka

(d) Kerala

(e) Maharashtra

(f) Orissa

(g) Tamil Nadu

(h) West Bengal.

(b) One representative of the Department of Soil conservation, Government of Orissa to be nominated by the State Government.

(c) One representative of each of the following organisations of the State Governments :

(1) Managing Director, Orissa State Cashew Development Corporation Bhubaneswar.

(2) Managing Director, Andhra Pradesh Forest Development Corporation, Hyderabad.

(3) Managing Director, Karnataka Cashew Development Corporation Mangalore.

(4) Managing Director, Kerala Cashew Development Corporation Quilon (Kerala).

(C) *Representatives of Central Government*

1. One representative of the Planning Commission.

2. One representative of the Ministry of Commerce.

3. Joint Secretary in charge of Extension or his nominee.

4. Director General, Indian Council of Agricultural Research or his nominee concerned with Cashew research.

5. Director General, Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi or his nominee concerned with cashew processing technology.

6. Project Coordinator (Cashewnut) Central Plantations Crops Research Institute, Post Kudlu, Kasargod, Kerala.

7. Agricultural Marketing Adviser, Department of Rural Development or his nominee.

8. One representative of the Ministry of Food & Civil Supplies. (Department of Civil Supplies).

9. Joint Commissioner (Horticulture) Department of Agriculture & Cooperation, Government of India.

(D) *Representatives of Agricultural Universities*

One representative from each of the following agricultural Universities :—

1. Vice-Chancellor, Kerala Agricultural University Cochin or his Nominee.

2. Vice-Chancellor, University of Agricultural Sciences, Bangalore, or his nominee.

3. Vice-Chancellor, Tamil Nadu Agricultural University or his nominee.

4. Vice-Chancellor, Konkan Krishi Vidhya Peeth, Maharashtra, Depoli 415 712 (District Ratnagiri) or his nominee.

5. Vice-Chancellor, Andhra Pradesh Agricultural University Rajendranagar Hyderabad, or his nominee.

(E) *Representatives of Growers*

Eight representatives of growers to be nominated by the respective State Governments from the major cashewnut growing states as follows :

1. Andhra Pradesh
2. Goa, Daman & Diu

3. Kerala
4. Karnataka
5. Maharashtra
6. Orissa
7. Tamil Nadu
8. West Bengal.

(F) *Representatives of trade*

Three representatives of Trade to be recommended by the Ministry of Commerce.

(G) *Representatives of Industry*

Three representatives of Industry to be recommended by the Department of Industrial Development.

(H) *Such Additional persons as may from time to time be nominated by the Government of India*

1. Representative of Cashewnut Export Promotion Council.
2. General Manager (Technical) National Bank for Agri. & Rural Devp. Poonam Chambers. Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-4000018 or his nominee.

IV *MEMBER SECRETARY*

Director, Directorate of Cashewnut Development, Cochin under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation).

V *OBSERVERS*

(Who would not be members of the Council but would invariably be invited to assist the Council in its deliberations).

1. Chairman, Cashew Corporation of India, New Delhi or his representative.
2. Financial Adviser, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) New Delhi.
3. Economics & Statistical Adviser, Ministry of Agriculture or his representative.
4. Director, Export Inspection Agency, Cochin.

2. The council will be an advisory body and will have the following functions :

(i) To review progress of development programmes both in Centre and State Sector and recommend measures for their proper implementation.

(ii) To take stock of the technology available in respect of production, processing and marketing and its adoption for increased productivity through linkage between research and extension.

(iii) To assess the requirements of planting material needed by various agencies and to suggest measures to meet these requirements.

(iv) To consider the demand of cashewnut both in domestic and export markets and make suitable recommendations to the Government for increasing the production of raw cashewnut if found necessary.

(v) To identify the requirements of the cashew processing industry and steps for its diversification.

(vi) To consider special needs of small and marginal farmers for cashew production and suggest measures to meet the same.

(vii) To advise Government on any other matter connected with the cashew industry.

3. The Council will have powers to set up Standing Committee, Technical Committee and ad hoc Committee to look into specific issues and to coopt members, such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which Cashewnut is grown and at important centres of trade and industry and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function untill it is abolished by a Resolution of the Government. The term of the non-official members of the Council would be 3 years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6. Those members of the Council who are nominated from among Members of Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats, Indian Council of Agricultural Research, Council of Scientific and Industrial Research, Agricultural Universities.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 13th November 1986

RESOLUTION

No. 9-3/85-C.A.-I.—The Government of India have decided to reconstitute with immediate effect the Indian Potato Development Council. The reconstituted council will be composed as follows :—

I. *CHAIRMAN*

A Non-Official to be nominated by the Government of India.

II. *VICE-CHAIRMAN*

Horticulture Commissioner Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, New Delhi.

III. *MEMBERS*

(A) *Members of Parliament*

Three Members of Parliament to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs (Two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha).

(B) *Representatives of Central Government*

(i) One representative of Planning Commission.
(ii) Chairman, Agriculture Products & Processed Products Export Development Authority, New Delhi.
(iii) One representative of the Ministry of Food & Civil Supplies, Department of Civil Supplies.
(iv) Director, Central Potato Research Institute, Shimla.
(v) Project Coordinator (Potato), Central Potato Research Institute, Shimla.
(vi) Agricultural Marketing Adviser, Department of Rural Development, New Delhi.
(vii) Director, Food & Vegetable Processing, Department of Food, New Delhi.
(viii) Managing Director, National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Ltd., New Delhi.

(C) *Representatives of States Governments*

One representative from each of the following State Governments in the Department of Horticulture/Agriculture to be nominated by the respective State Governments :—

(i) Assam
(ii) Bihar
(iii) Gujarat
(iv) Himachal Pradesh
(v) Karnataka

(vi) Madhya Pradesh

(vii) Maharashtra

(viii) Meghalaya

(ix) Punjab

(x) Tamil Nadu

(xi) Uttar Pradesh

(xii) West Bengal.

(D) *Representatives of Agricultural Universities*

One representative from each of the following Agricultural Universities.

(i) Vice Chancellor or his nominee Rajendra Agricultural University, P.O. Pusa, Distt. Samastipur (Bihar).

(ii) Vice-Chancellor or his nominee Tamilnadu Agricultural University Coimbatore (Tamil Nadu).

(iii) Vice-Chancellor or his nominee G.B. Pant University of Agriculture and Technology, Pant Nagar Distt. Nainital (U.P.).

(E) *Representatives of Growers*

Twelve growers' representatives to be nominated by the respective State Governments from the Major Potato growing States as folows :—

(i) Assam

(ii) Bihar

(iii) Gujarat

(iv) Himachal Pradesh

(v) Karnataka

(vi) Madhya Pradesh

(vii) Maharashtra

(viii) Meghalaya

(ix) Punjab

(x) Tamil Nadu

(xi) Uttar Pradesh

(xii) West Bengal

(F) *Representatives of Trade*

Two representatives to be nominated by the Government of India on the recommendation of Ministry of Commerce.

(G) *Representatives of Industry*

Two representatives to be nominated by the Government of India on the recommendation of Ministry of Industry and Company Affairs, Department of Industrial Development.

(H) *Representatives of Cold Storage Units*

One representative each to be nominated by the States of Assam, Bihar, Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and West Bengal.

(I) *Such additional persons as may from time to time, be nominated by the Government of India.*

MEMBER SECRETARY

Director (Horticulture), Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation or any other officer nominated by the Department of Agri. and Cooperation.

OBSERVERS

(Who would not be members of the Council but may be invited to assist the Council in the deliberations).

(i) Financial Advistr, Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture.

(ii) Economic & Statistical Adviser, Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture.

(iii) Plant Protection Adviser, Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture.

(iv) A representative of Ministry of Railway.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(1) To consider development programme in the Central and State Sector in respect of Potato, review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of potato;

(2) To assess the requirements of planting materials needed by various agencies and suggest measures to meet these reqquirements;

(3) To consider demands for different varieties of potato in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary arrangements for meeting the said demand through suitable development programme:

4. The Council will meet atleast once a year, Meetings will preferably be held in different potato growing states.
tion for increased productivity through linkage between research and extension;

(5) To identify the requirements of potato processing industry and steps for its diversification;

(6) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of potato production and suggest suitable measures for meeting the same; and

(7) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3. The Indian Potato Development Council will have powers to set up Standing Committee, Technical Committee and Ad-hoc Committee to look into specific issues and to coopt representatives from any organisation and other special interests as and when necessary, for specific purposes.

4. The Council will meet atleast once a year. Meetings will preferably be held in different potato growing states.

5. The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government. The term of non-official members of the Council would be three years from the date on which they are nominated on the Council upless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6. Those members of the Council who are nominated from amongst the Members of Parliament will cease to be Members of the Council as soon as they cease to be members of the Parliament.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. V. SHENOY,
Addl. Secy.

New Delhi, the 19th November 1986

RESOLUTION

No. 48(8)/81-Sheep.—In continuation of this Ministry's resolution No. 48(8)/81-Sheep dated 3-1-1986 to be read with resolution No. 48(8)/81-Sheep dated the 8th November, 1985 reconstituting the Central Sheep Development Advisory Council, Government of India have decided to nominate Shri Ramkaran Pal, Rampur, Gaya, Bihar, as non-official member representing farmer's interest.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all States Governments, Administrations of Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Sectt. and Rajya Sabha Sectt.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. P. VERMA,
Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 6th November 1986

No. F. 12-12/85-D.III(PE).—The following amendments are made in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) Notification No. F. 12-12/85-D. III(PE) dated the 1st September, 1986, constituting the Board of Governors of the Society for the National Institutes of Physical Education and Sports, with immediate effect :—

(i) The existing entry

"II. *VICE-CHAIRMAN*

2. Smt. Margaret Alva

Minister of State for Youth Affairs & Sports" shall be amended to read as

"II. *MEMBER*

2. Smt. Margaret Alva,
Minister of State for Youth Affairs & Sports".

(ii) The existing entry

"III. *REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENT OF INDIA* (3) *Ex-Officio*

3. Joint Secretary in-charge of Youth Affairs & Sports.

4. Joint Secretary in the Department of Education.

5. Addl. Secretary (Expenditure), Ministry of Finance".

shall be amended to read as

"III. *REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENT OF INDIA* (2) *Ex-Officio*

3. Joint Secretary in-charge of Youth Affairs & Sports.

4. Additional Secretary (Expenditure) Ministry of Finance"

(iii) The other entries appearing in the Notification at serial numbers "6, 7....18" shall be amended to read as "5-6....17".

M. LAKSHMINARAYANA,
Dy. Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 27th October 1986

RESOLUTION

No. 14/1/85-Hindi.—The following amendments are made in the Resolution of even number dated 29th July, 1986 regarding constitution of Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Water Resources :—

Sl. No.	*To be nominated*	*To be substituted*
1.	To be nominated	Shri Bharat Bhai M. Odedra, Member (Lok Sabha)
2.	—DO—	Shri N. Tombi Singh Member (Lok Sabha)

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secrefariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SMT. BINOO SEN,
Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986